कार्यालय :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0–20/2019–916 दिनांक :–23/9/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2025–26 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए कुल **रू0 1056.507 लाख (दस करोड़ छप्पण लाख पचास हजार सात सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–34/2019–18 व0प0 दिनांक–25.07.2019 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–34/2019–70 व0प0 दिनांक–02.08.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 रू0 1056.507 लाख (दस करोड़ छप्पण लाख पचास हजार सात सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789590103	426.561
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789590323	629.946
कुल :–		**1056.507**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों

के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** एवं स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3** पर तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601789590103 तथा 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि का स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है। यदि नदी तट वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत वनभूमि अथवा गैर–मजरुआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो एसी स्थिति में नदी तट वृक्षारोपण की एक इकाई, जिसकी लम्बाई 100 मी0 होती है, उसके चयन के क्रम में यदि आंशिक रुप से रैयती भूमि आ रही हो, तो इस प्रकार की रैयती भूमि का हिस्सा (100 मी0 लम्बाई की इकाई में) यदि अधिकतम 30 प्रतिशत हो तो इस प्रकार के स्थल को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। इस क्रम में यह आवश्यक होगा कि जमीन के मालिक वन विभाग को योजना अवधि के लिए उक्त रैयती भूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वेच्छा से सुपूर्द करने को तैयार हो एवं इसके लिए वन विभाग को इकरारनामा–सह–अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दें। नदी तट किनारे वनभूमि पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य स्थल को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदित करा लिया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना

के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जायेगी।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यो का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–20/2019–**916 **दिनांक–**23/9/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ चतरा/ बोकारो/ गिरिडीह/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–20/2019–**916 **दिनांक–**23/9/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ रामगढ़/ बोकारो/ धनबाद/ गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—1

वित्तीय वर्ष 2019—20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप—आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019—20 में रू0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि0मी0 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2019—20 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				404324.90	597105.40	**1001430.30**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	15.00	150.00	60.649	89.566	150.215
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	17.50	175.00	70.757	104.493	175.250
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	15.00	150.00	60.649	89.566	150.215
6	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	8.00	80.00	32.346	47.768	80.114
7	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	10.00	100.00	40.432	59.711	100.143
8	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
9	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	10.00	100.00	40.432	59.711	100.143
10	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	10.00	100.00	40.432	59.711	100.143
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
	योग :—	**105.50**	**1055.00**	**426.561**	**629.946**	**1056.507**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

D:\2019-20\Development\Sub-Allotment\RSP\SCSP\Advance Work\River Side Plantation

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300	
पौधो की दूरी	2mx3m	
1 यूनिट का परिमाप	2000 m2	**100*20**
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m	
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	249.83	रुपये

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83**					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति इकाई	0.6	149.90		149.90
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	2	499.66		499.66
3	**घेरान कार्य**	प्रति इकाई	-			
3.1	आर0सी0सी0 पीलर 82 सं0 823.00 रू0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	29479.94	39475.16	68955.10
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्थ्रेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1481.49		1481.49
3.4	आर0सी0सी0 पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6872.82	5763.38	12636.20
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 967 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	प्रति इकाई	6.60	1648.88	0.00	1648.88
5	मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	1.20	299.80	0.00	299.80
	कुलः–		**161.84**	**40432.49**	**59710.54**	**100143.03**
B	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 287.30 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360	10 रू0 प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	1896.18	0.00	1896.18
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	2154.75	0.00	2154.75
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	5171.40		5171.40
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुलः–		**32**	**9222.33**	**4572.13**	**13794.46**
C	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 330.40 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1387.68	0.00	1387.68
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	7929.60	0.00	7929.60
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	396.48	275.00	671.48
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	204.85	100.00	304.85
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4506.66	0.00	4506.66
	कुलः–		**43.66**	**14425.26**	**1036.40**	**15461.66**

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल
	ii	iii	iv	v	vi	vii
D	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 379.96 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1595.83		1595.83
2	सामग्री (बीज़, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	9119.04	0.00	9119.04
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	455.95	275.00	730.95
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	5182.65		5182.65
	कुलः–		**43.04**	**16353.48**	**479.90**	**16833.38**
E	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 436.95 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1835.19		1835.19
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	5243.40		5243.40
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	524.34	275.00	799.34
	कुलः–		**17.4**	**7602.93**	**479.90**	**8082.83**
F	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (षष्टम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 502.49 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6029.88		6029.88
	कुलः–		**12**	**6029.88**	**0.00**	**6029.88**
G	**वित्तीय वर्ष 2025–26 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 577.86 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2024–25 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6934.32		6934.32
	कुलः–		**12**	**6934.32**	**0.00**	**6934.32**
	सकल योगः–		**322.040**	**101000.69**	**66278.87**	**167279.56**

नोट (1) कंटीले तार का क्रय GeM द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशंसित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।

(2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवागमण हो सके। व्यवहारिक रुप से 10 ब्लॉक को 1 कि0 मी0 माना जा सकता है।

(3) स्थल पर उपलब्ध भूमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को Pro-rata आधार पर स्थल – विशिष्ट प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2025–26 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र0	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्ताव		
		प्रक्षेत्र का नाम	नदी/स्थल का नाम	रकबा (कि0मी0 मे)
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	हंटरगंज	अमझर नदी (सरदन से बसरिया)	3
		चतरा वनरोपण	गहरी नदी (हरहद चिकोर से बैदबिगहा)	3
		हंटरगंज	लीलाजन नदी (घघरी से डुमरिया)	1.5
			लीलाजन नदी (बोड़ा से कनगुरुआ)	1.5
		प्रतापपुर	मोरहर नदी (कौरा से घोड़ीघट)	3
		राजपुर	गहरी नदी (छोटकी पेततौल से चारठ तक)	3
		योग		**15**
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	सिमरिया वनरोपण	लिलाजन नदी (गरवाडीह)	2
		टण्डवा प्रक्षेत्र	बड़की नदी (किशुनपुर)	2
		टण्डवा प्रक्षेत्र	गर्री नदी (किसुनपुर से उरसू)	5
		चौपारण वनरोपण	पिपरा नदी (पिपरा से सनपुरा)	4
		सिमरिया प्रादेशिक	बघमरवा नदी (कदले से सिकरी)	3
		चौपारण वनरोपण	महाने नदी तट (ईटखोरी स्थित महाने नदी पुल के निकट)	1.5
		योग		**17.5**
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	सतगावाँ वन प्रक्षेत्र	सकरी नदी (माधोपुर पुल से मरचोई पुल तक नदी के दोनो किनारे)	5
		योग		**5**
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	बगोदर	जमुनिया नदी (बागोडीह, अचलजामो, हेसला एवं बालक)	2
		दारु	सेवाने नदी (तरवा खरवा)	3
		योग		**5**

क्र0	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्ताव		
		प्रक्षेत्र का नाम	नदी/स्थल का नाम	रकबा (कि0मी0 मे)
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	बरही प्रक्षेत्र	केवट नदी (सरैया गारुकुरहा नावाडीह)	6
		हजारीबाग प्रक्षेत्र	सेवाने नदी (अलौंजाकला–कनौदी–मेदकुरी–देवरिया–टेप्सा–कारीमाटी)	9
		योग		**15**
6	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	माण्डू	दुधी नदी	6
		रामगढ़	दामोदर नदी (रजरप्पा वासरी से कोइहारा)	2
		योग		**8**
7	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	पेटरवार	खाजो नदी	5
		चास	गवइ नदी	5
		योग		**10**
8	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	तोपचांची	जमुनिया नदी	5
		योग		**5**
9	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	गिरिडीह	बराकर नदी	5
		गावां	सकरी नदी	5
		योग		**10**
10	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	उसरी नदी (प्राचीडीह से चतरो)	5
		डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	गडगी नदी (करमाटांड से मानिकबाद)	3
		धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	इरगा नदी (भईयाडीह से धुरगडगी)	2
		योग		**10**
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	डोमचांच	केशो नदी, मसमोहना (पुल) से नीमाडीह नदी तट पर वृक्षारोपण	2
		डोमचांच	हरुहरु नदी तट पर वृक्षारोपण	3
		योग		**5**
		योगः—		**105.5**

प्रधान ~~मुख्य~~ वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-20/2019/916 दिनांक - 23-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60479	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	6,064,900.00 रुपये साहठ लाख चौसठ हजार नौ सौ
2	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60480	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	7,075,700.00 रुपये सत्तर लाख पचहत्तर हजार सात सौ
3	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60481	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ

योग: 15,162,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड इकावन लाख बासठ हजार दो सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 23/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-20/2019/916 दिनांक - 23-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60485	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
5	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60487	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	6,064,900.00 रुपये साठ लाख चौसठ हजार नौ सौ
6	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60488	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	3,234,600.00 रुपये बत्तीस लाख चौतीस हजार छः सौ

योग: 11,321,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड चौसठ लाख तिरयासी हजार तीन सौ 26,483,300.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 Run Date: 23/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-20/2019/916 दिनांक - 23-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	60490	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	4,043,200.00 रुपये चालीस लाख तीरयालीस हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA			
8	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	60491	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA			
9	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	60493	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	4,043,200.00 रुपये चालीस लाख तीरयालीस हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA			

योग: 10,108,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड पैसठ लाख इनकानवे हजार तीन सौ 36,591,300.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 23/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-20/2019/916 दिनांक - 23-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60494	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	4,043,200.00 रुपये चालीस लाख तीरयालीस हजार दो सौ
11	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60496	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
12	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60500	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	8,956,600.00 रुपये नवासी लाख छप्पन हजार छः सौ

योग: 15,021,400.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड सोलह लाख बारह हजार सात सौ 51,612,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 125.22.111.9 Run Date: 23/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-20/2019/916

दिनांक - 23-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60501	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	10,449,300.00 रुपये एक करोड चार लाख उनचास हजार तीन सौ
14	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60503	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ
15	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60504	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ

योग: 16,420,300.00

क्रमिक योग: रुपये छः करोड अस्सी लाख तैतीस हजार 68,033,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

125.22.111.9

Run Date: 23/9/2019

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60505	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	8,956,600.00 रुपये नवासी लाख छप्पन हजार छः सौ
17	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60506	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICEF	4,776,800.00 रुपये सैतालीस लाख छहत्तर हजार आठ सौ
18	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60507	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	5,971,100.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार एक सौ

योग: 19,704,500.00

क्रमिक योग: रुपये आठ करोड सित्योत्तर लाख सैतीस हजार पाँच सौ 87,737,500.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-20/2019/916 दिनांक - 23-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60509	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पॉच सौ
20	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60510	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	5,971,100.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार एक सौ
21	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	60511	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	5,971,100.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार एक सौ

योग: 14,927,700.00

क्रमिक योग: रुपये दस करोड छब्बीस लाख पैसठ हजार दो सौ 102,665,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 125.22.111.9 **Run Date:** 23/9/2019

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	60512	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)
Centeral Scheme : NA

योग: 2,985,500.00

क्रमिक योग: रुपये दस करोड छप्पन लाख पचास हजार सात सौ 105,650,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 Run Date: 23/9/2019